रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2019/ आश्विन 22, 1941
No. 608]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2019/ASVINA 22, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 782 (अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 10(अ), तारीख 1 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए जनसाधरण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 4 जनवरी, 2019 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

परंतु यह कि इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्रों वाले सभी व्यक्ति, छह मास की अवधि के भीतर, लेबल और पर्ची जो इन नियमों के अनुसार संशोधित किये गये हैं, के अनुमोदन के लिए सचिवालय केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के समक्ष आवेदन करेंगे :

परंतु यह और कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई ऐसे लेबल या पर्ची का उपयोग नहीं करेगा जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किये गये हैँ :

परंतु यह भी कि ऐसे लेबल या पर्ची लगे किसी कीटाणुनाशक या इसका पैकेज जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किए गए हैं इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् विक्रयार्थ प्रदर्शित विक्रय, वितरित या भंडारित नहीं किया जाएगा ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 18, के उपनियम (1) में,

(क) खंड (ट) में, शब्दों "के ब्यौरे" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ड) में,-

(i) आरभिंक पैरा में "फसल" शब्द के स्थान पर "फसल या अनुशंसित अन्य उपयोग" जहाँ भी लागू हो" शब्दों को रखा जाएगा;

(ग) खंड (ड) में,-

(ii)उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) मौसम की सामान्य स्थिति" :

(iii) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) मृदा और जल, जहां भी लागू हो":

(iv)उपखंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(vii) मात्रा (जिसके अंतर्गत ग्राम संक्रिय संघटक विनिर्मिति और लीटर में तनुकरण भी है)";

(घ) खंड (प) में, शब्दों "के अनुसार" के पश्चात् "प्राथमिक पैक के लिए सुरक्षित" या के अनुसार शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

3. उक्त नियमों के, नियम 19 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) (i) लेबल एक, दो या तीन पैनल का होगा और अन्यथा कथित के सिवाय केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में मुद्रित होगा । सभी लेबल पैनलों का न्यूनतम आकार पैकेज के सम्मुख लगे आकार के अनुसार होगा । शुद्ध अंतर्वस्तु आधार पर तीन प्रकार के लेबल होंगे :-

(i) अति लघु पैकज - 1 ग्राम/मि.लि से 50 ग्राम/मि.लि.

(ii) लघु पैकज - 51 ग्राम/मि.लि से 250 ग्राम/मि.लि

(iii) वृहद पैकज - > 250 ग्राम/मि.लि

लेबल पर निम्नलिखित जानकारी मुद्रित होगी :-

(क) कीटनाशी का नाम (ब्रांड नाम या व्यापार चिन्ह का नाम जिसके अधीन कीटनाशी विक्रय किया जा रहा है) ब्रांड नाम साधारण नाम से 1.5 गुणा आकार से बड़े आकार का नहीं होगा और पैनल के सम्मुख के क्षेत्र के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । ब्रांड नाम बड़े अक्षरों में होगा;

(ख) साधारण नाम, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित;

(ग) "उपयोग से पहले पढ़े" निर्देशों को सभी पैकेज आकारों में कम से कम अंग्रेजी और हिंदी भाषा में बड़े अक्षरों में लेबल के शीर्ष पर प्रमुख स्थान पर लिखा जाएगा । परिशिष्टी में, वृहद् आकार पैक के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओँ में जहाँ यह विक्रय के लिए प्रस्तावित है;

(घ) उपयोग के लिए निर्देश, रीति और अनुप्रयोग का समय, फसलों की सूची या लक्ष्यित क्षेत्र और नाशकजीव का व्यापक प्रवर्ग जिस पर उपयोग के लिए वह रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) मात्रा (जिसके अंतर्गत ग्राम संक्रिय संघटक विनिर्मिति है और लीटर या क्षेत्र में तनुकरण भी है) ;

(च) रसायन का प्रयोजन लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा, उदाहरण के लिए:-

(i) कृषि उपयोग के लिए

(ii) नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए

(iii) घरेलू उपयोग के लिए

(iv) लोक स्वास्थ्य के लिए

(v) अन्य (विनिर्दिष्ट);

(छ) कीटनाशी के प्रत्येक अनुप्रयोग के पश्चात् संभावित पुनःप्रयोग की अवधि रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित;

(ज) सुरक्षा पूर्व सावधानियां रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथाअनुमोदित;

(झ) सूत्र की संरचना या कीटनाशी;

(ञ) विषाक्तीकरण के लक्षण और प्राथमिक चिकित्सा;

(ट) प्रतिकारक कथन;

(ठ) विनिर्माता का नाम;

(ड) आयातकर्ता और पुनःपैककर्ता (जहाँ भी लागू हो);

(ढ) विपणनकर्ता;

(ण) कीटनाशक की रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(त) विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या;

(थ) बैच संख्या;

(द) विनिर्माण की तारीख;

(ध) अवसान की तारीख;

(न) कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.);

(ऩ) शुद्ध अन्तर्वस्तु का भार या आयतन (मीट्रिक प्रणाली में);

टिप्पण-1 : विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधान उपखंड (ध) (न) और (प) के लिए लागू होंगे ।

(फ) सावधानियां कथन,-

(i) लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं;

(ii) पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आद्यान को नष्ट करें ; और

(iii) रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य चेतावनी या सावधानियां कथन।

(ब) ग्राहक संपर्क ब्यौरे जैसे कंपनी का नाम, क्यू आर कोड, ई-मेल आई डी और ग्राहक संपर्क संख्या ।

टिप्पण-2 : (ब) के प्रावधान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 की परिशिष्ट में रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् लेबल पर अतिरिक्ति सूचना जोड़ी जा सकती है ।

न्यूनतम आकार के लेबल के संबंध में लेबल के नीचे की ओर एक वर्ग सेंटीमीटर से अन्यून आकार के सभी संबंधित सुरक्षा चित्र लिपि **(तीसरी अनुसूची में चित्र 1 में निर्दिष्ट)** होगी । बड़े आकार के लेबलों के संबंध में आनुपातिक बड़ी चित्र लिपि पैनल के दाहिनी ओर नीचे की ओर होगी । वह लेबल में केवल एक बार मुद्रित होगी। अति लघु और लघु लेबलों के लिए प्राथमिक पैक पर चित्रलिपि प्राथमिक पैक या द्वितीयक पैक पर मुद्रित किया जाएगा।

(ii) लेबल पर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में अमिट स्याही से अन्यथा कथित के सिवाय नीचे विहित किए गए आकार से अन्यून फोंट आकार में स्पष्ट रुप से मुद्रित होगा:-

पैकेज आकार	प्राथमिक		द्वितीयक	
	अंग्रेजी (में)	हिंदी (में)	अंग्रेजी (में)	हिंदी (में)
वृहद	7	7	7	7
लघु	5	6	7	7
अति लघु	5	6	7	7

(iii) (क) लघु या अतिलघु पैकेजको एक द्वितीयक पैक में भी पैक किया जाएगा जिसके लेबल पर, नियम 19 के उपनियम (1) के खंड (i) की सभी अंतर्वस्तुएं अमिट स्याही से मुद्रित होगी ।

(ख) वृहद् आकार के लेबल पर नियम 19 के उपनियम 1 के खंड (i) की सभी अंतर्वस्तुएं अमिट स्याही से मुद्रित होगी । वृहद् आकार का पैकेज भी द्वितीयक पैक में पैक किया जा सकेगा ।

(iv) (क) थैलियों, पैकेजौं या अद्यानों के मामले जहां ये लघु है (51 और 250 ग्राम/मि.लि. के बीच के आकार के लिए) प्राथमिक पैकेज पर निम्नलिखित ब्यौरे अमिट स्याही से मुद्रित होंगे, अर्थात:-

(1) ब्रांड नाम;

(2) साधारण नाम;

(3) विनिर्माता का नाम और पता;

(4) आयातित और पुनःपैकिंग (जो भी लागू हो);

(5) प्रतिकारक;

(6) रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(7) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या;

(8) बैच संख्या;

(9) विनिर्माण की तारीख;

(10) अवसान की तारीख;

(11) अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू. जिनके अन्तर्गत कर भी है);

(12) शुद्द अन्तर्वस्तु का आयतन या भार (मीट्रिक प्रणाली में) ;और

(13) ग्राहक सम्पर्क ब्यौरे :

(ख) थैलियां, पैकेजों या अद्यानों के मामले में जहां से अतिलघु हैं (1 और 50 ग्राम/मि.लि. के बीच आकार के लिए) प्राथमिक पैकेज पर निम्नलिखित ब्यौरे अमिट स्याही से मुद्रित होंगे, अर्थात्:-

(1) ब्रांड नाम;

(2) साधारण नाम ;

(3) विनिर्माता का नाम;

(4) आयातीत और पुनः पैकिंग (यदि लागू है);

(5) प्रतिकारक;

(6) रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(7) विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या;

(8) बैच संख्या;

(9) विनिर्माण की तारीख;

(10) अवसान की तारीख;

(11) शुद्ध अन्तर्वस्तु का आयतन या भार (मीट्रिक प्रणाली में);

(12) अधिकतम खदरा मूल्य (अ.खु.मू. जिनके अन्तर्गत कर भी है)।

(v) "तीसरी अनुसूची" में दिए गए चित्र II, III, IV और V के माडल लेबल (एक पैनल,दो पैनल और तीन पैनल) के अनुसार होगी ।

(4) उक्त नियमों में, "तीसरी अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"तीसरी अनुसूची"

(नियम 19 देखें)

चित्र I: सुरक्षा चित्र लिपि

संक्षारक	ज्वलनशील ठोस	ज्वलनशील (जल क्रियाशील)	प्रदाहजनक
विस्फोटक	ज्वलनशील द्रव्य	स्वत: ज्वलनशील	आक्सीकरण पदार्थ

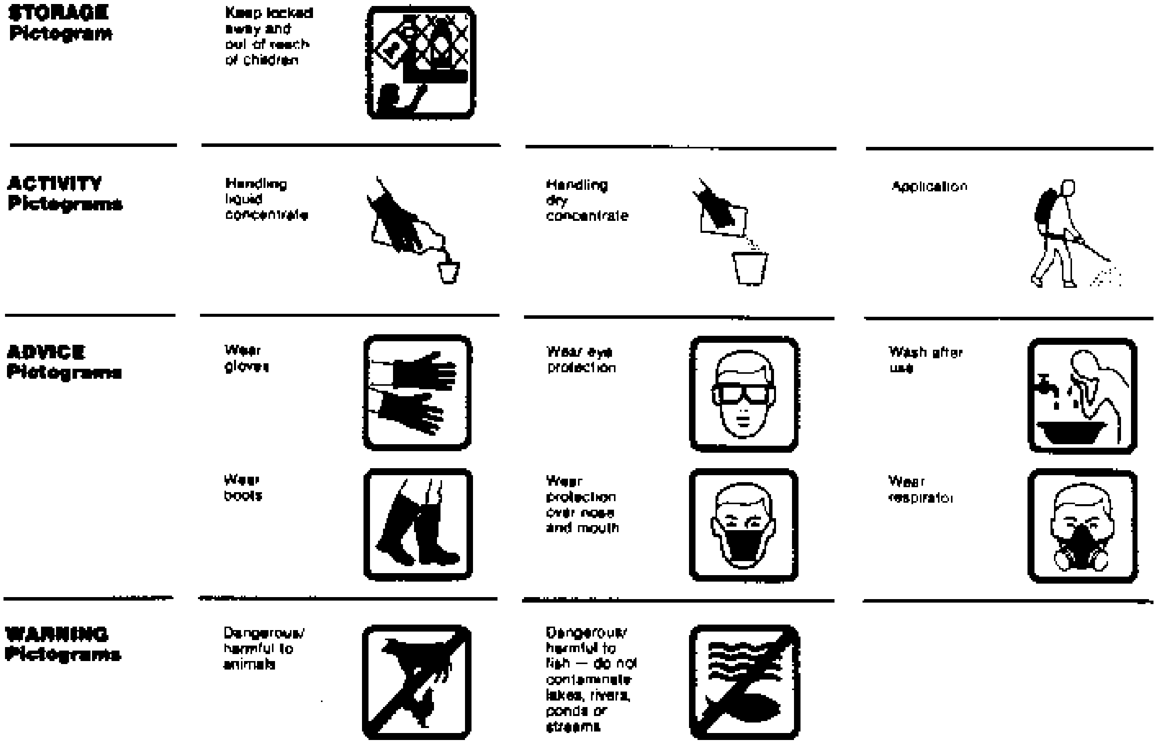

भंडारण, क्रियाकलाप, सलाह और चेतावनी

चित्र II क: एक पैनल के लिए माडल लेबल (1 से 50 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक पैक के लिए लागू)

उपयोग से पहले पर्ची पढ़े (अंग्रेजी और हिंदी में कम से कम) :

ब्राड नाम:

साधारण नाम:

प्रतिकारक: "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार"

विनिर्माता का नाम और पता:

द्वारा आयतित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो):

रजिस्ट्रेशन सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

शुद्ध अंतर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा):

अ.खु.मूल्य:

उपरोक्तनुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु
पैकेज लेबल में)

चित्र II ख: एक पैनल के लिए माडल लेबल (51 से 250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक पैक के लिए लागू)

उपयोग से पहले पर्ची पढ़े (अंग्रेजी और हिंदी में कम से कम) :

ब्राड नाम:

साधारण नाम:

प्रतिकारक: "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार"

विनिर्माता का नाम और पता:

द्वारा आयतित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो):

रजिस्ट्रेशन सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

शुद्ध अंतर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा):

अ.खु.मूल्य:

ग्राहक सम्पर्क संख्या:

उपरोक्तनुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु
पैकेज लेबल में)

चित्र III: एक पैनल के लिए माडल लेबल

(1 से 50 ग्राम या मि.ली. और 51 से 250 ग्राम या मि.ली. द्वितीयक पैक लेबल के लिए लागू)

उपयोग से पहले पर्ची पढ़े (अंग्रेजी और हिंदी में कम से कम) :

ब्राड नाम:

साधारण नाम:

फसलें और नाशक जीव समूह:

मात्रा:

उपयोग के लिए निर्देश:

रीति और अनुप्रयोग का समय:

प्रयोजन:

पुनःप्रविष्टि:

कीटनाशी विनिर्मितिनिकी संरचना:

सुरक्षा पूर्वाधानियाँ:

विषाक्तीकरण के लक्षण:

प्राथमिक उपचार:

प्रतिकारक कथन:

सावधानियाँ कथन "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक-संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार"

विनिर्माता का नाम और पता:

द्वारा बेचा जाना:

द्वारा आयतित और दुबारा पैक किया गया (जहाँ भी लागू हो):

रजिस्ट्रेशन सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख: अवसान की तारीख: अ.खु.मू. जिसके अन्तर्गत कर भी है: शुद्ध अंतर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा): ग्राहक सम्पर्क ब्यौरे: चित्र लिपि उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

चित्र IV: दो पैनलों के लिए माडल लेबल

(>250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक पैकेज लेबलों और 1 से 50 ग्राम या मि.लि. 51 से 250 ग्राम या एम एल और > 250 ग्राम या मि.लि. द्वितीयक पैकेज के लिए लागू)

उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े **उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े** **उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े** **उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े** **उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े** **उपयोग से पहले पर्ची पढ़े उपयोग से पहले पर्ची पढ़े** ग्राहक सम्पर्क ब्यौरे: रजिस्ट्रीकरण सं.: विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या: बैच संख्या: विनिर्माण की तारीख: अवसान की तारीख: अ.खु.मू. जिसके अन्तर्गत कर भी हैं: शुद्ध अन्तर्वस्त (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा): चित्र लिपि	ब्रांड नाम : साधारण नाम: फसलें और नाशकजीव समूह: मात्रा: उपयोग के लिए निर्देश: रीति और अनुप्रयोग का समय: प्रयोजन: पुनःप्रविष्टि: सूत्रीकरण / कीटनाशक की संरचना: "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग- प्रतीक-संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार" सुरक्षा पूर्वाधानियाँ विषाक्तीकरण के लक्षण प्राथमिक उपचार: प्रतिकारक: सावधानियाँ कथन: उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु विनिर्माता का नाम और पता द्वारा बेचा गया : द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया गया(जहां भी लागू हो) :

चित्र V : तीन पैनलों के लिए माडल लेबल

(>250 ग्राम या मि.ली.लेबलो प्राथमिक और द्वितीयक पैकेज और मोनोकारटून्स के लिए लागू)

उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** **उपयोग के लिए पर्ची पढ़ें** ग्राहक सम्पर्क संख्या: चित्र लिपि	ब्रांड नाम: साधारण नाम: "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक-संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6) के अनुसार" विनिर्माता का नाम और पता: द्वारा बेचा गया: द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो): रजिस्ट्रीकरण संख्या: विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या: बैच संख्या: विनिर्माण की तारीख: अवसान की तारीख: अ.खु मू. जिसके अन्तर्गत कर भी है: शुद्ध अंतर्वस्तु(मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा):	फसलें और नाशक जीव: समूह: मात्रा: उपयोग के लिए निर्देश: रीति और अनुप्रयोग का समय: प्रयोजन: पुनःप्रविष्टि: सूत्रीकरण / कीटनाशक की संरचना: सुरक्षा पूर्वाविधानिया: विषाक्तीकरण के लक्षण: प्राथमिक उपचार: प्रतिकारक: सावधानियां कथन: उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

(5) उक्त नियमों में, नियम 19, के उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(7) लेबल को कम से कम अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में मुद्रित किया जाएगा, जब तक अन्यथा, न बताया जाए । कीटनाशी वाले पैकेज के साथ संलग्न पर्ची हिन्दी, अंग्रेजी और उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा जहां, पैकेज का भंडारण, विक्रय तथा वितरण किया जाना है, में मुद्रित होगा।"

[फा. सं. 13035/21/2013-पी.पी.-I (वॉल्यूम.III)]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे—

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,

3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवबंर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 586(अ), तारीख 12 अगस्त, 1999,
8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवबंर, 2006,
10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014,
14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015,
15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016,
16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 12 अगस्त, 2016,
17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 27 जनवरी, 2017,
18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 1 फरवरी, 2017,
19. सा.का.नि. 1229(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2017 ,
20. सा.का.नि. 1588(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2017,
21. सा.का.नि. 399(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018 और
22. सा.का.नि. 1204(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2018 ।
23. सा.का.नि. 11(अ), तारीख 4 जनवरी, 2019 तथा
24. सा.का.नि. 535 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2019 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2019

G.S.R .782(E).— Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) number G.S.R. 10 (E), dated the 1st January, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 4th January, 2019;

And whereas, objections or suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that all persons with valid certificates of registration granted before the date of coming into force of these rules shall, within a period of six months from this date, apply to the Secretariat, Central Insecticides Board and Registration Committee, for the approval of labels and leaflets that have been amended in accordance with these rules:

Provided further that no person shall use a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules after the expiry of one year from the date of coming into force of these rules:

Provided also that no insecticide or its package bearing a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after the expiry of two years from the date of coming into force of these rules.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules) in rule 18, in sub rule (l),

(a) in clause (k), the word "detailed" shall be omitted;

(b) in clause (m),—

(i) in the opening paragraph for the word " crop" the words " crop or recommended other use, whichever is applicable" shall be substituted;

(c) In clause (m),-

(ii) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-—

" (i) weather conditions in general";

(iii) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

" (ii) soil and water, wherever applicable";

(iv) for sub-clause (vii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

(v) " (vii) dosage (include gram active ingredient formulation and dilution in litres)";

(d) in clause (u), after the words "shall be" the words "secured to primary pack or" shall be inserted;

3. In the said rules, in rule 19, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) (i) The label shall have either one, two or three panels and shall be printed only in English and Hindi languages unless stated otherwise. The minimum size of all the label panels shall be according to the size affixed on the face of the package. There shall be three types of labels depending on the net content:

I. Ultra small package-1gm or ml to 50 gm or ml
II. Small package-51 gm or ml to 250 gm or ml
III. Big package->250 gm or ml

The following information shall be printed on the label:—

(a) name of insecticide (brand name or trade name under which the insecticide is sold). The brand name shall not be of bigger size than 1.5 times size of common name and it should occupy not more than 20% of area of the face of the panel. The brand name shall be in bold;

(b) common name as approved by Registration Committee;

(c) instructions to "Read Leaflet Before Use" shall be placed on the top of the label in bold, in a prominent place at least in English and Hindi languages in all package sizes. In addition, for big pack size in all such regional languages where it is proposed for sale;

(d) directions for use, manner and time of application, list of crops or target area and broad category of pests on which it is registered to apply;

(e) dosage (include gram active ingredient, formulation and dilution in litres and area);

(f) purpose of the chemical shall be mentioned on the label, for example:—

(i) for Agricultural Use
(ii) for Pest Control Operators
(iii) for House Hold Use
(iv) for Public Health
(v) others(specify);

(g) optimal re-entry period after each application of insecticide as approved by the Registration Committee;
(h) safety precautions as approved by Registration Committee;
(i) composition of the formulation or insecticides;
(j) symptoms of poisoning and first aid;
(k) antidote statement;
(l) name of the manufacturer;
(m) imported and re-packed by (wherever applicable);
(n) marketed by;
(o) registration number of the insecticide;
(p) manufacturing license number;
(q) batch number;
(r) manufacturing date ;
(s) expiry date;
(t) Maximum Retail Price (MRP) Inclusive of all taxes;
(u) net content weight or volume (in metric system);

Note I: The provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011 shall be applicable for sub-clauses (s), (t) and (u).

(v) cautionary statement ,—

(i) Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets;

(ii) Destroy the container after use as directed on leaflet;and

(iii) Any other warning or cautionary statement as approved by Registration Committee;

(w) Customer care details such as Company's name, QR Code, e-mail id and customer care numbers.

Note II: The provisions of (w) are in addition to the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rule, 2011.

Additional information can be added to the Label after approval by the Registration Committee.

All relevant safety pictograms (**refer picture I in the THIRD SCHEDULE**) of size not less than one square centimetre at the bottom of the label in respect of labels of minimum size. Pictograms shall be proportionately bigger in respect of labels of bigger size at the bottom of the right side panel. They shall be printed only once on the label. For ultra small and small labels the pictograms on the primary pack shall be printed on primary or the secondary pack.

(ii) The label shall be printed legibly with indelible ink in English and Hindi languages unless stated otherwise in the font sizes not less than the size prescribed as below:

Package Size	Primary		Secondary	
	English (in)	Hindi(in)	English(in)	Hindi(in)
Big	7	7	7	7
Small	5	6	7	7
Ultra small	5	6	7	7

(iii) (a) The ultra small or small packages shall also be packed in a secondary pack whose label shall be printed with indelible ink displaying all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19.

(b) The label of the big package shall be printed with indelible ink displaying all contents of clause (i) of sub-rule (1) of rule 19. The big package may also be packed in a secondary pack.

(iv) (a) In case where the sachets, packets or containers are small (for sizes between 51 and 250 gm or ml) the following details shall be printed with indelible ink on primary package, namely:-

1. brand name;
2. common name;
3. name and address of the manufacturer ;
4. imported and re-packed by (wherever applicable);
5. antidote;
6. registration number;
7. manufacturer’s license number;
8. batch number;
9. manufacturing date;
10. expiry date;
11. maximum retail price (MRP inclusive of all taxes, in rupees);
12. net content weight or volume (in metric system); and
13. customer care details.

(b) In case where the sachets, packets or containers are ultra-small (for sizes between 1 and 50 gm or ml) the following details shall be printed with indelible ink on primary package, namely:-

1. brand name;
2. common name;
3. name and address of the manufacturer;
4. imported and re-packed by (wherever applicable);
5. antidote;
6. registration number;
7. manufacturer’s license number;
8. batch number;
9. manufacturing date;
10. expiry date;
11. net content weight or volume (in metric system); and
12. maximum retail price (MRP inclusive of all taxes, in rupees).

(v) The model labels (one panel, two panel and three panel) shall be as per the pictures II, III, IV and V given in the THIRD SCHEDULE .

(4) In the said rules, for the “THIRD SCHEDULE” the following Schedule shall be substituted, namely:-

"THIRD SCHEDULE

(see rule 19)

PICTURE I: SAFETY PICTOGRAMS

CORROSIVE	**FLAMMABLE SOLID**	**FLAMMABLE (WATER REACTIVE)**	**IRRITANT**
EXPLOSIVE	**FLAMMABLE LIQUID**	**SPONTANEOUS COMBUSTIBLE**	**OXIDIZING SUBSTANCE**

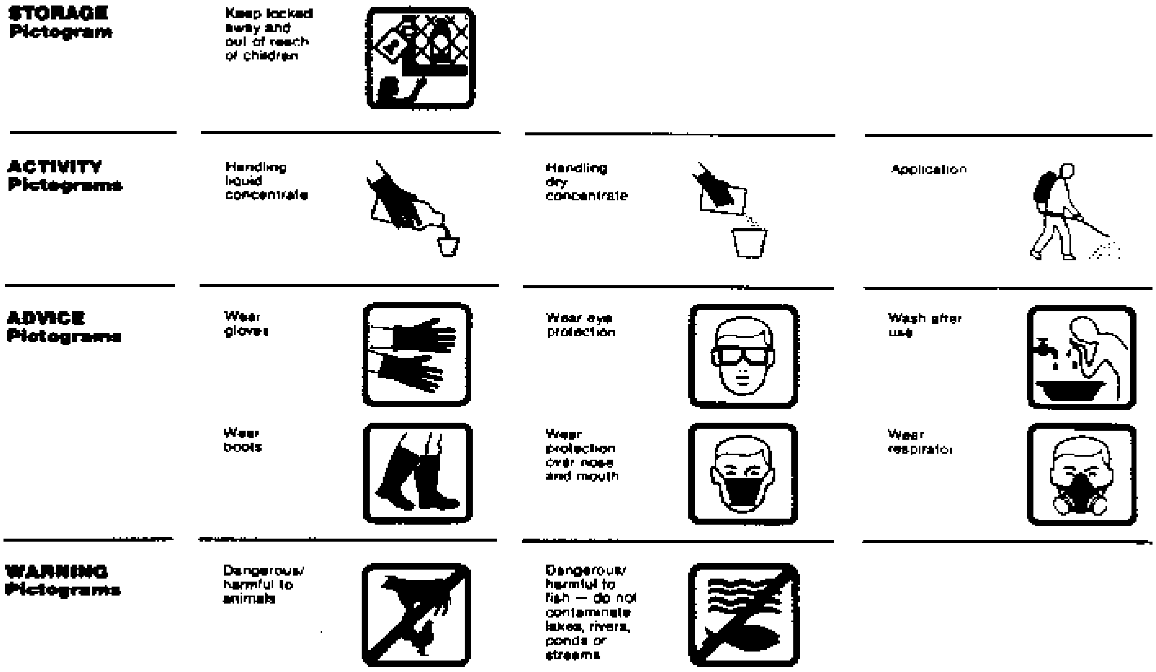

STORAGE, ACTIVITY, ADVICE AND WARNING

PICTURE II A: MODEL LABEL FOR ONE PANEL (Applicable for 1 to 50 gm or ml Primary package labels)

Read leaflet before use (at least in English and Hindi)

Brand Name®

Common name:

Antidote:

"Diamond shape square-symbol, signal word
and warning statements and any other information
as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19"

Name and Address of manufacturer:

Imported and repacked by (wherever applicable):

Registration No:

Mfg Lic. No:

Batch number:

Mfg. Date:

Expiry date:

Net content: weight or volume (in metric system)

M.R.P. Similar content as above in Hindi

PICTURE II B: MODEL LABEL FOR ONE PANEL (Applicable for 51 to 250 gm or ml Primary package labels)

Read leaflet before use (at least in English and Hindi)

Brand Name®

Common name:

Antidote: "Diamond shape square-symbol, signal word
and warning statements and any other information
as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19"

Name and Address of manufacturer:

Imported and repacked by (wherever applicable):

Registration No:

Mfg Lic. No:

Batch number:

Mfg. Date:

Expiry date:

M.R.P.

Net content: weight or volume (in metric system)

Customer care details:

Similar content as above in Hindi

PICTURE III: MODEL LABEL FOR ONE PANEL

(Applicable for 1 to 50 gm or ml and 51 to 250 gm or ml secondary package Label)

Read Leaflet Before Use (at least in English and Hindi):

Brand Name®

Common name:

Crops and Pest Groups:

Dosage;

Direction for use:

Manner and time of application:

Purpose:

Re-entry:

Composition of the formulation/insecticide:

Safety Precautions:

Symptom of Poisoning:

First Aid:

Antidote Statement:

Cautionary statements:

“Diamond shape square-symbol, signal word
and warning statements and any other information
as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19”

Name and Address of manufacturer:

Marketed by:

Imported and Repacked by (wherever applicable):

Registration No:

Mfg. Lic. No:

Batch Number:

Mfg. Date:

Expiry Date:

MRP incl. of all taxes. Rs.

Net Content: weight or volume (in metric system)

Customer Care details:

PICTOGRAMS Similar content as above in Hindi

PICTURE IV: MODEL LABEL FOR TWO PANELS

(Applicable for > 250 gm or ml Primary package Labels and 1 to 50 gm or ml, 51 to 250 gm or ml and > 250 gm or ml secondary package)

Read Leaflet before use **Read Leaflet before use**	Brand Name®
Read Leaflet before use **Read Leaflet before use**	Common name:
Read Leaflet before use **Read Leaflet before use**	Crops and Pest Groups:
Read Leaflet before use **Read Leaflet before use**	Dosage;
Read Leaflet before use **Read Leaflet before use**	Direction for use:
Read Leaflet before use **Read Leaflet before use**	Manner and time of application:
	Purpose :
	Re-entry:
Customer Care details:	Composition of formulation/ insecticide:
Registration No.	"Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19"
Mfg. Lic. No.	
Batch No.	Safety Precautions:
Mfg. Date	Symptoms of Poisoning:
Expiry Date:	First Aid:
MRP incl. of taxes. Rs.	Antidote:
Net content: weight or volume (in metric system)	Cautionary statement:
PICTOGRAMS	
	Similar Content as above in Hindi
	Name and address of Manufacturer:
	Marketed by:
	Imported & Repacked by (wherever applicable):

PICTURE V: MODEL LABEL FOR THREE PANELS

(Applicable for > 250 gm or ml labels primary and secondary package and monocartons)

Read Leaflet before use	Brand Name®	Crops and Pest Groups:
Read Leaflet before use	Common name:	Dosage;
Read Leaflet before use	"Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19"	Direction for use:
Read Leaflet before use		Manner and time of application:
Read Leaflet before use		Purpose :
Read Leaflet before use		Re-entry:
Read Leaflet before use	Name and address of Manufacturer:	Composition of formulation/ insecticide:
Read Leaflet before use	Marketed by:	
Read Leaflet before use	Imported & Repacked by (wherever applicable):	
Read Leaflet before use		Safety Precautions:
	Registration No.	Symptoms of Poisoning:
	Mfg. Lic. No.	First Aid:
Customer Care details:	Batch No.	Antidote:
	Mfg. Date:	Cautionary statement:
	Expiry Date:	
	MRP incl. of taxes. Rs.	Similar Content as above in Hindi
	Net content:	
PICTOGRAMS		

(5) In the said rules, in rule 19, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) The label shall be printed at least in English and Hindi languages unless stated otherwise. The leaflets attached to the package containing insecticides shall be printed in Hindi, English and such regional languages in use in the areas where the said packages are likely to be stocked, sold or distributed".

[F. No. 13035/21/2013-PP.I (Vol. III)]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,

12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017
19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018
22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018
23. G.S.R.11(E), dated 4th January, 2019 and
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.16 12:54:45 +05'30'